

तारीख हुक्म

हरिद्वारा खनाम विनोद

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

उत्पन्न खलास वि. सं. 12/17

06.06.23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।



(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर

